न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	राजेन्द्र सिंह बनाम शांति देवी मु.नं.– 01/21 किस्म – 01(2)
	27.11.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
01/2021

तारीख रजू
15.09.2021

तारीख निर्णय
27.11.2025

बउनवान

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह, निवासी पावर हाउस के पास सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा (राज.)।

..सायल/प्रार्थी

बनाम

1. शांति देवी पत्नी स्व. मानसिंह, निवासी पावर हाउस के पास, सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा (राज.)।
   1/1. राजकुमारी पुत्री मानसिंह पत्नी महेन्द्र सिंह राघव, निवासी सरावली, हाल निवासी नवदीप विहार, जयपुर प्लॉट न. 37 भैरव नगर लालरपुर राममंदिर के पास जयपुर।
   1/2. पदमावती पुत्री किशनसिंह पत्नी हरिओम सिंह चौहान, निवासी सरावली, हाल निवासी पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
   1/3. अंजना कंवर पुत्री किशनसिंह पत्नी रामप्रकाश सिंह चौहान, निवासी सरावली, हाल निवासी नगली बलीहार चौहान, तहसील नीमराना, जिला अलवर।
   1/4. रसाल देवी पत्नी स्व. किशनसिंह, निवासी पावर हाउस के पास सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा (राज.)।
2. हरगोविन्द सिंह पुत्र स्व. मानसिंह, निवासी पावर हाउस के पास सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा (राज.)।
3. मनमोहनसिंह पुत्र किशनसिंह, निवासी पावर हाउस के पास सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा (राज.)।
4. देवेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह, निवासी पावर हाउस के पास, सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा (राज.)।
5. उपपंजीयक, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मण्डावर दौसा।

..गैरसायलान/अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री हरीसिंह मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 – श्री शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं.

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

19 खसरा सं. 321 रकबा 0.50 हैक्टे., 322 रकबा 0.41 हैक्टे., 323/625 रकबा 0.58 हैक्टे., 324/624 रकबा 0.40 हैक्टे., 330 रकबा 0.95 हैक्टे., 331 रकबा 0.39 हैक्टे., 331/527 रकबा 0.02 हैक्टे., 332 रकबा 0.01 हैक्टे., 334 रकबा 0.29 हैक्टे., 335 रकबा 0.48 हैक्टे., 376/529 रकबा 0.38 हैक्टे., 377/530 रकबा 0.38 हैक्टे., कुल किता 12, रकबा 4.79 हैक्टे. ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर में स्थित है। विवादित आराजीयात के सायल व गैरसायल संयुक्त काश्तकार व्यक्ति है जिन्होंने बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है जिसका अभी तक विविधित तकास्मा नहीं हुआ है तथा अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं। गैरसायला नं. 1 व अन्य गैरसायल सं. 2 लगायत 4 आपस में मिले हुये हैं जो कि बहुत चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है। गैरसायला नं. 1 87 वर्ष की वृद्ध महिला है जिसकी सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो चुकी है। इसलिये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सायल को गैरसायल आये दिन परेशान करते हैं एवं जमीन को बेचने की धमकी देते हैं। इसलिये कानूनन प्रत्येक व्यक्ति का संयुक्त भूमि में बराबर हिस्सा रहता है। यदि गैरसायलान ने जमीन बिना तकास्मा ही बेचान कर दिया तो भविष्य में लडाई झगडा व मुकदमेबाजी की संभावना बढ़ जायेगी। इसलिये न्यायहित में तकास्मा किया जाना अति आवश्यक है। दिनांक 13.09.2021 को गैरसायला नंबर 1 ने बिना तकास्मा कराये ही सायल की बहिन राजकुमारी के हक में गैरसायलान ने मिलकर दानपत्र लिखवा दिया जिसकी सूचना सायल को किसी जानकार व्यक्ति ने दी। तब सायल ने जाकर अपनी मां गैरसायल नंबर 1 से हाथ जोडकर निवेदन किया कि आप बिना बंटवारा किये ही जमीन का दानपत्र क्यों कर रही हो और हमने तो अपनी बहिन के लिये भात जामना सब दे दिये हैं। तुम्हारे अपने नाते पोते भी तो हैं तथा मैं तुम्हारी सेवा भी करता हूँ। तुम्हें 9000/-रूपये मेरे पिताजी की पेंशन मिलती है एवं आपको अलग से खेत दे रखा है जिसकी पैदावारी भी आप अपने पास ही रखती हो एवं आपकी खरीदी हुई सम्पत्ति नहीं है। यह हमारी पैतृक सम्पत्ति जिसका कानूनी बंटवारा कराना जरूरी है। आप कानूनी रूप से बंटवारा कराओ। तब गैरसायलान ने एकराय होकर ऐलानिया धमकी दी कि हम तो उक्त जमीन को किसी भी लट्ठ वाले व्यक्ति को बेचान कर देगें, तुम लडते झगडते रहना। यदि गैरसायलान अपनी कुचेष्ठा में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने से सायल को अकथनीय क्षति होगी। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयत वाके ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत ना तो गैरसायलान स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा गैरसायलान उक्त आराजी को स्वयं रहन, बेचान व खुर्द-बुर्द नहीं करे अथवा नाही किसी अन्य नौकर, ऐजेन्ट से करावे। गैरसायलान को मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 28.09.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम सरावली, पटवार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 321, 322, 323/625, 324/624, 330, 331, 331/527, 332, 334, 335, 376/529, 377/530, कुल किता 12, रकबा 4.79 हैक्टे. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजीयत सहखातेदारी की है तथा गैरसायल संख्या 1 के पति एवं सायल व गैरसायल 2 के पिता एवं 3 व 4 के दादा की मृत्यु के उपरान्त सभी सहमति से काबिज हैं। इसके साथ ही विवादित आराजीयात पीढियों से पूरे परिवार के जीवनयापन का एकमात्र स्थायी साधन रहती रही है। इसमें से कोई भी हिस्सा किसी भी दीगर व्यक्ति को बेचान समस्त सायल एवं गैरसालयान की सहमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। गैरसायल संख्या 1 शांति देवी की वृद्धावस्था होने तथा स्वास्थ्य में दिनों–दिन गिरावट के कारण स्वयं चाहती हैं कि इनके जीवन में ही विधिवत तकास्मा हो जाये ताकि किसी प्रकार का वाद–विवाद पैदा ना हो। साथ ही सभी का जीवन सुख–शांतिपूर्ण तरीके से गुजर सके। इसमें गैरसायलान 2 लगा. 4 भी सहमत हैं कि उक्त वर्णित आराजी का विधिवत तकास्मा हो ताकि सभी शांतिपूर्वक अपने–अपने हिस्से पर काबिज रह सकें और जीवनयापन कर सके। विवादित आराजीयात पैतृक है तथा इसका विधिवत तकास्मा जरूरी है ताकि सभी परिवार–जन शांतिपूर्वक जीवनयापन कर सके। यह भी सत्य है कि विधिवत तकास्में के लिए सभी गैरसायलान 1 लगा. 4 सहमत है। अन्य अंकित कथन अस्वीकार हैं। यदि किसी वर्तमान में विधिवत तकास्मा हुए बगैर किसी भी परिवारजन द्वारा प्रकार का दानपत्र, रजिस्ट्री अथवा अन्य लिखावट बगैर सहमति की गई तो वह कानूनन गलत है। जवाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि जब तक कानूनी रूप से विवादित आराजीयत का विधिवत तकास्मा के दावा का निस्तारण जब तक माननीय न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता, तब तक सायल और अन्य दीगर व्यक्तियों को उक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत ना करावें ना स्वयं करे, ना ही किसी अन्य को रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द ना करें, ना किसी अन्य नौकर, एजेन्ट से करावें तथा आराजी पर मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत रखने का आदेश न्यायहित में प्रदान करने की कृपा करें।

4. प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2024 को आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2024 को स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किये जाने हेतु आदेशित किया। संशोधित शीर्षक पेश होने के बाद अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/4 ने नोटिस की तामील के बावजूद, न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

5. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार, विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं संख्या 1 ता 4 की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 विवादित आराजीयात बाबत जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को विवादित आराजीयात के विधिवत विभाजन तक जारी रखने के लिये सहमत हैं। इसलिए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.09.2021 को सहमति के आधार पर जारी रखा जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 321, 322, 323/625, 324/624, 330, 331, 331/527, 332, 334, 335, 376/529., 377/530, कुल किता 12, रकबा 4.79 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.09.2021 को को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि उभय पक्ष उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज